भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3986
4 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

आयातित इस्पात उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय

3986 डा. सैयद नसीर हुसैन:
डा. कल्पना सैनीः
सुश्री कविता पाटीदारः
डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सभी आयातित इस्पात उत्पादों के लिए अपेक्षित मानकों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस 2024 द्वारा तैयार किए गए इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय आयातकों द्वारा अपने उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान किस प्रकार रहा है;

(ग) भारतीय बाजार में घटिया इस्पात उत्पादों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा आयातित इस्पात के निरीक्षण के लिए तकनीकी समिति क्यूसीओ (टीसी-क्यूसीओ) पोर्टल के संचालन की स्थिति क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने घरेलू इस्पात उत्पादन और खपत पर क्यूसीओ के प्रभाव का कोई आकलन किया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) इस्पात मंत्रालय के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात का ही उत्पादन हो या इसका बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) द्वारा इनको शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों का अनुपालन करने वाला गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही अंतिम उपयोगकर्ताओं और आम जनता को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। बाहर से इस्पात का कोई भी आयात बीआईएस लाइसेंस के साथ किया जा सकता है।

ऐसे इस्पात ग्रेडों के आयात के लिए, जो अभी तक बीआईएस मानकों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, आयातकों को अपनी छमाही आवश्यकता हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पोर्टल जिसके साथ तकनीकी समिति-क्यूसीओ (टीसी-क्यूसीओ) पोर्टल को एकीकृत किया गया है, पर अग्रिम रूप से आवेदन करना आवश्यक है।

(घ): घरेलू इस्पात उत्पादन और उपभोग पर क्यूसीओ के प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया गया है।

*****